

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 775/2834/98/सी/चार,

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय : क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण बाबत।

उपर्युक्त संदर्भित विषय में क्रमोन्नत उपरान्त वेतन निर्धारण मूल नियमों के नियम 22 (ए) (ii) के अन्तर्गत करने की व्यवस्था है। इसे संशोधित करते हुए राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया गया है कि क्रमोन्नती उपरान्त वेतन निर्धारण क्रमोन्नत वेतनमान में अगली स्टेज पर किया जाये।

2/ यह आदेश दिनांक 18 सितम्बर 1998 से प्रभावशील होगा तथा इसके अन्तर्गत पूर्व में निपटये गये प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

हस्ता/-
(जी.पी.सिंघल)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,

पृ.क्र. 776/2834/99/सी/चार,

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 99

प्रतिलिपि :—

- (1) राज्यपाल के सचिव, भोपाल।
- (2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (3) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
- (5) सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (6) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल।
- (7) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल।
- (8) मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (9) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल।
- (10) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर भोपाल।
- (11) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी.नगर भोपाल।
- (12) प्रमुख महामंत्री, म.प्र.शिक्षक कांग्रेस कार्यालय, 6/45, बंगले नार्थ टी.टी.,नगर भोपाल।
- (13) महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल।
- (14) प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ कार्यालय 69/1 साउथ टी. टी. नगर, भोपाल।
- (15) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय विन्ध्याचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट भोपाल।
- (16) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर भोपाल।

- (17) अध्यक्ष, म.प्र. सचिवालय कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल।
(18) प्रांताध्यक्ष, म.प्र.पटवारी संघ, मु.पो.टिमरनी, तहसील कार्यालय टिमरनी, जिला हरदा।
(19) प्रांताध्यक्ष म.प्र.लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, महावीरपुरा मुरैना जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।
(20) प्रांताध्यक्ष, म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, एम.191/4 राज्य क्षय एवं प्रशिक्षण केन्द्र प्रांगण इतवारा रोड़ भोपाल।
-
- (21) महालेखाकार (लेखा और हकदारी) (आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
-
- (22) सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश।
(23) सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
(24) सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

हस्ता/-

(के.एन.पन्त)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग